

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

अधिसूचना

क्रमांक 728 /गोपनीय/2017
दो-2-1/2017 (भाग-बी)

जबलपुर, दिनांक 23 मई, 2017

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री रविन्द्र सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर।	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर की हैसियत से श्री रामजी गुप्ता के स्थान पर।
2	श्री रामजी गुप्ता, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर।	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर की हैसियत से श्री रविन्द्र सिंह के स्थान पर।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,



 23.5.17
 रजिस्ट्रार जनरल
 ५४

पृष्ठांकन क्रमांक 729 /गोपनीय/2017
दो-2-1/2017 (भाग-बी)

जबलपुर, दिनांक 23 मई, 2017

प्रतिलिपि:—

- 1 उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को उनके अद्व शासकीय पत्र क्रमांक 80, दिनांक 12-05-2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 3 प्रभारी संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 4 रजिस्ट्रार (आईटी०), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 5 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 6 अनुभाग अधिकारी, सिविल चेकर/क्रिमिनल चेकर/शिकायत शाखा/डी० ए० गोपनीय/ डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (गोपनीय शाखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


 23.5.17
 (मो. फहीम अनवर)
 रजिस्ट्रार जनरल
 ५४